फर्द अहकाम

कविता शर्मा बनाम छोटूराम

…ा /वर्ष 217/2007 /20

…ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
20/8/24	पत्रावली पेश हो। वकील काउण्टर क्लेम पेश कर्ता उप0 बहस अन्तिम सुनी गई व लिखित बहस हेतु वो वास्ते आदेश निर्णय 9/9/24 को पेश होवे उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
9/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील काउण्टर क्लेम कर्ता उप0। काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं.2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर, जयपुर

वाद संख्या : 217/2004

...किरण शर्मा पुत्री द्वारका प्रसाद शर्मा निवासी 142, मल्हारगंज इन्दौर हाल निवासी प्लाट नम्बर 66, किशोर नगर द्वितीय सीतावाडी ...टेक रोड जयपुर।

— वादिया

बनाम

1. छोटू मीणा पुत्र नामालुम
2. हीरा पुत्र छोटू मीणा
3. कमलादेवी पत्नी सीताराम मीणा
4. सीताराम पुत्र नामालुम
5. गुलाब देवी पत्नी नरसिंह लाल मीणा
6. नरसिंह लाल मीणा पुत्र नामालुम
7. भंवरी देवी पत्नी भगवान सहाय मीणा
8. भगवान सहाय मीणा पुत्र नामालुम
9. दुर्गादेवी पत्नी शंकर लाल
10. शंकरलाल पुत्र नामालुम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण/काउन्टरक्लेम

11. अल्का दाधिच पुत्री शिवनारायण दाधिच निवासी कृष्णा कॉलोनी, ब्यावर
12. हरिकिशन चौहान पुत्र ईश्वर सिंह चौहान जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 266, श्री गोपाल नगर, महेश नगर जयपुर।
13. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक: 1/7/24

वादिया ने बाद [illegible] अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] आराजी खसरा नम्बर 178 रकबा 0.59 है०, खसरा नम्बर 1[illegible] रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 180/648 रकबा 0.12 है० (कुल किता-3 कुल रकबा 1.52 है० वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के चारों ओर हो रही तारबंदी को हटाकर अनाधिकृत कब्जा प्रतिवादीगण

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...ने स्वयं करें, ना ही आपने एजेन्ट सर्वेन्ट व वारिसान से
...के सम्बन्ध मे वाद प्रस्तुत किया गया।

वादिया का वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण
...नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 ओर से जवाबदावा
...(आ0 3 02 र कलेम) प्रतिदावा पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार
...कि वादिया ने वादपत्र मे अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात
वादिया एंव अल्का दाधिच और हरिकिशन चौहान के नाम अंकित है।
वादिया के कथनानुसार वादिया के अलावा अल्का दाधिच व हरिकिशन
चौहान भी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं, जिन्हे वादिया द्वारा
इस वाद में पक्षकार नही बनाया गया, जबकि रिकार्डेड खातेदार होने
के कारण व वाद के लिए आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हे पक्षकार बनाया
जावें अन्यथा आवश्यक पक्षकार के अभाव मे वादिया का यह वाद
चलने योग्य नही है। वादिया ने वाद मे प्रतिवादी संख्या 10 शंकरलाल
को पक्षकार बनाया है प्रतिवादी संख्या 10 शंकरलाल को पक्षकार बनाया
है। प्रतिवादी संख्या 10 शंकरलाल की मृत्यु हुए लगभग सात वर्ष हो गये
मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत होने से यह वाद चलने योग्य नही
है। वादिया का तथा उसके साथ दर्ज अन्य खातेदारों का खसरा नम्बर
180/648 की भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है, ना ही वर्तमान
में है। वर्तमान में उक्त भूमि पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण द्वारा बोई गई
खरीफ की फसल ज्वार खडी है। जब वादिया का खसरा नम्बर 180/648
की भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा ही नही है, तो कब्जे के
अभाव मे वादिया का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही
है। उपरोक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत कर जवाबदावा का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार
हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 180/648 रकबा 0.12 हैक्टेयर से वादिया
तथा अल्का दाधिच और हरिकिशन चौहान का कोई संबंध सरोकार नहीं
है उक्त भूमि पर ना तो इनका कभी पहले कोई कब्जा काश्त था, और
ना ही वर्तमान मे कोई कब्जा काश्त है उक्त वर्णित हाल ख0 नम्बर
180/648 की भूमि गत खसरा नम्बर 87 रकबा 7 बीघा से कब्जेदार
खातेदार काश्तकार उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 2 हीतर है तथा इसी
प्रकार का अंकन राजस्व रिकार्ड मे मौजूद है। हाल खसरा नम्बर
180/648 का रकबा 0.12 हैक्टेयर मौके पर खसरा नम्बर 180 के
रकबे मे शामिल है। खसरा नम्बर 180 व 180/648 का रकबा दोनो
को मिलाकर एक है। मौके पर दोनो खसरा नम्बरान के इकजाई
रकबे पर उत्तरदातागण द्वारा वर्तमान खरीफ मे बोई ज्वार की फसल
खडी है। उक्त ख0न0 180/648 पर वादिया द्वारा कभी कोई तारबन्दी
नही की गई। वादिया तारबन्दी [illegible] क्योकि
उक्त भूमि जिसका साबिका खसरा नम्बर 87 [illegible] उत्तरदाता प्रतिवादी
संख्या-2 का पिछले 30 वर्षो से [illegible]
है। और वह चारों ओर से खाम[illegible] पक्के
उत्तरदातागण ने उक्त भूमि की [illegible] उत्तर-दक्षिण तथा
उत्तरी सीमा पर पूर्व-पश्चिम लम्बाई मे कच्ची र[illegible] डौल पर पट्टीयाँ
गाड़ कर तारबन्दी कर दी थी, जो आज भी मौके पर मौजूद है।
इसी तारबन्दी को वादिया अपनी होना बताकर माननीय न्यायालय
को मुगालते मे रखते हुऐ इस दावे की आड मे पुलिस से मिलीभगत
— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 180/648 की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहती है। वाद की वाद में वर्णित खसरा नम्बर 178 व 179 की भूमि पर वादिया ने कोई तारबन्दी नहीं कर रखी है। वादिया अकेली तारबन्दी कर भी कैसे सकती है, क्योंकि ख०न० 178 व 179 की भूमि (अकेली) वादिया की नहीं है, उसमे भी वादिया के साथ-साथ प्रतिवादिया और हरिकिशन चौहान सहखातेदार है जो इस वाद में पक्षकार नहीं है। दिनांक 15/7/2007 को वाद के मद नम्बर-3 में वर्णितानुसार उत्तरदाता प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 10 मौके पर आये बल्कि सही तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 10 मौके पर नहीं आये। प्रतिवादी संख्या 10 को मरे हुऐ लगभग सात वर्ष हो गये। वह देवलोक से मौके पर कैसे आ सकते थे। उस रोज वादिया मौके पर नहीं आई। वादिया के बाकी सभी तथ्य सही हैं। वादिया भिन्न उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादिया को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 भौरीलाल के तथा प्रतिवादी संख्या 4, 6. 8 व 10 प्रतिवादी संख्या एक छोटू के पुत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 10 की मृत्यु हुए लगभग सात वर्ष हो गये। वादग्रस्त ख०न० 180/648 की भूमि के संबंध मे उत्तरदाता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा के साथ प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया है जिसमे माननीय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि क्या खसरा नम्बर 180/648 की भूमि भिन्न उत्तरदाता प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि साबिक ख०न० 87 रकबा 7 बीघा से बने हाल ख०न० 180 रकबा 0.79 हे० का भाग है, जिसे अवैध तरीके से भू-प्रबन्ध विभाग के ए०आर.ओ. द्वारा वादिया तथा उनके हक पूर्वाधिकारी विक्रेतागण के नाम दर्ज कर दी गई है। उक्त वर्णित अवैधानिक अंकन की जब उत्तरदाता प्रतिवादी सं. 2 को जानकारी हुई तो उसने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी जयपुर (द्वितीय) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम सन् 2000 में प्रस्तुत कर दिया था। जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसमे स्वयं वादिया ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादिया को पहले से ही पूर्ण जानकारी थी फिर भी वादिया जानबूझकर इस तथ्य को छुपाकर यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रतिदावा के विचाराधीन रहते हुए वादिया का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा किसी भी दशा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण [illegible] (काउण्टर क्लेम) पेश किया। जिसका संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम बधोसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर [illegible] खसरा नम्बर 87 रकबा 7 बीघा कृषि भूमि को काउण्टर क्लेमेण्ट प्रतिवादी संख्या-2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30/12/76 और दिनांक 26/10/78 क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। उसी समय से काउण्टर क्लेमेण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि पुराने समय से चारो ओर से

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

...से महफूज और डोल के अन्दर सुरक्षित है। इस भूमि मे एक
... बनाया गया, जिसमे बिजली कनेक्शन लेकर पानी से उक्त
... सिंचाई की जाती रही है तथा खरीफ व रबी की दोनो फसले
... की जाती रही है इस प्रकार काश्तकार क्लेमेन्ट संख्या-2 साबिका
... नम्बर 87 रकबा 7 बीघा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है।
... कार्यवाही के दौरान उक्त ग्राम के साबिका खसरा नम्बर 87
... 7 बीघा के वर्तमान ख० न० 180 रकबा 0.79 हे०, 182 रकबा 0.25
... 183 रकबा 0.27 हे०, 550 रकबा 0.09 हे०, 551 रकबा 0.24 हे०,
... किता-5 कुल रकबा 1.64 हे० बनाये गये। उक्त वर्तमान खसरा
... की खातेदारी काश्तकार प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड
... की गई मैट्रिक प्रणाली के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 87 रकबा
... का क्षेत्रफल 1.76 हे० होता है परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग के
... अधिकारियो ने काश्तकार क्लेमेण्ट प्रतिवादी संख्या-2 की खातेदारी में
1.76 हे० दर्ज करने के बजाय 1.64 हे० भूमि दर्ज रिकार्ड की। इस प्रकार
काश्तकार क्लेमेन्ट प्रतिवादी संख्या-2 के खाते मे साबिका रकबा मे से
0.12 हे० भूमि पहले ही कम दर्ज की गई। वर्तमान भूमि बन्दोबस्त के
पश्चात् जो खतौनी बन्दोबस्त मे भी प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी मे
... ख० न० 180 रकबा 0.79 हे०, 182 रकबा 0.25 हे०, 183 रकबा
0.27 हे०, 550 रकबा 0.09 हे०, 551 रकबा 0.24 हे० कुल किता-5
रकबा 1.64 हे० दर्ज किये गये। तथा अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून
2009 तक का प्रतिवादी संख्या-2 के हक मे पर्चा लगान जारी कर
दिया। पर्चा लगान बन्दोबस्त कार्य समाप्त होने के पश्चात जारी
किया जाता है उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड मे कोई परिवर्तन भू-प्रबन्ध
विभाग द्वारा नही किया जा सकता। परन्तु पर्चा लगान जारी होने
के पश्चात ए० आर० ओ० सांगानेर ने कदर संख्या 16 आज्ञा दिनांक
30/01/1991 पत्रावली संख्या 675/90 के द्वारा काश्तकार क्लेमेण्ट प्रतिवादी
संख्या-2 की खातेदारी मे दर्ज खसरा नम्बर 180 रकबा 0.79 हे० भूमि
मे से 0.12 हे० भूमि कम करके उसका एक नया बटा खसरा नम्बर
180/648 बनाते हुऐ उसे वादिया व अलका शाविच व हरिकिशन
चौहान के हक पूर्वाधिकारी गोकुल सिंह वगैरह खाता संख्या-4 के
खातेदारी के नाम दर्ज कर दिया जिसका कोई नोटिस काश्तकार
क्लेमेण्ट प्रतिवादी संख्या-2 को नही दिया जबकि भू-प्रबन्ध विभाग
को अथवा ए० आर० ओ० को पर्चा लगान जारी करने के बाद इस प्रकार
की आज्ञा देने व काश्तकार क्लेमेण्ट प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी भूमि
मे से 0.12 हे० भूमि कम करके उसे ... की खातेदारी मे
दर्ज करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था। भू-प्रबन्ध विभाग तथा
ए० आर० ओ० सांगानेर द्वारा दी गई उक्त आज्ञा ... 1991
और गैर कानूनी है। जिसके आधार पर ... उसके हक पूर्वाधिकारी
को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ए० आर० ओ० की उक्त वर्णित
आज्ञा के पश्चात वादिया, अलका शाविच व हरिकिशन चौहान ने गोकुल सिंह
वगैरह खातेदार खाता सं. 4 से हाल खसरा नम्बर 180/648 की
0.12 हे० भूमि क्रय कर ली। इस प्रकार हाल ख० न० 180/648 की
0.12 हे० भूमि प्रतिदावा (काश्तकार क्लेम) मे वादग्रस्त भूमि है जो

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

...से वादिया तथा उनका दाखिचन्द और हरिकिशन ...के खाते मे दर्ज है जिसे काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 2 अपने ...खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः प्रतिदावा (काउन्टर क्लेम) ...ग्राम स्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर ...साबिक खसरा नम्बर 87 रकबा से बने हाल खसरा नम्बर 180 ...0.79 है० के भाग हाल खसरा नम्बर 180/648 रकबा 0.12 हैक्टेयर ...खातेदार काश्तकार (काउन्टर क्लेमेन्ट) प्रतिवादी सं. 2 हीतर पुत्र ...है को खातेदार काश्तकार घोषित कर वर्तमान बन्दोबस्त मे ...मिलान क्षेत्रफल मे हाल ख० न० 180/648 को गत खसरा नम्बर ...से बनाया बताया है वह गलत है। और इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल ...परिवर्तन किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे। तथा वादिया को ...स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह हाल ख० न० 180/648 ...रकबा 0.12 है० मे काउन्टर क्लेमेन्ट प्रतिवादी सं. 2 के कब्जे काश्त ...मे किसी प्रकार की दखलदाजी नहीं करे ना ही उनके उपयोग ...उपभोग मे बाधा पहुंचाये व ना ही जबरन बेदखल कर कब्जा ...करे न किसी अन्य से करावे तथा ना ही उसका किसी अन्य ...को विक्रय करे।

वादिया का वाद दिनांक 26/7/17 को वादिया व वकील वादिया उपस्थित नहीं होने व प्रतिवादी सं. 1 के फौत हो जाने की सूचना देने के बावजूद वकील वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा 90 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर वाद स्वतः अबेट हो जाता है तथा वकील वादी उपस्थित नहीं है वादिया ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश नहीं करने पर वादिया का वाद अबेट किया गया गया।

प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिदावा काउन्टर क्लेमेन्ट ने अपने वाद के समर्थन मे साक्ष्य बाबूलाल प्रजापत का शपथ पत्र, तथा सीताराम, हीतर, नृसिंहलाल. के शपथ पत्र पेश किये है। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने प्रतिदावा काउन्टर क्लेमेन्ट के समर्थन मे साक्ष्य मे जमाबन्दी ग्राम स्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला सम्वत् 2035 से 2038 Ex-D-1, नकल नक्शा ट्रेस सन् 1989 Ex-D2, बन्दोबस्त जमाबन्दी अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 Ex-D-3, भू-प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 Ex-D4, मानचित्र सम्वत् 2040-42 Ex-D5, नकल प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस सम्वत् 2040-41 Ex-D5A, नकल प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन पत्र Ex-D6, ... बन्दोबस्त अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून ... Ex-D7. पेश किये गये।

वकील प्रतिवादी सं. 2 काउन्टर क्लेमेन्ट की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी सं. 2 ने लिखित बहस पेश की गई।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य, का आद्योपान्त अवलोकन करने व लिखित बहस का आद्योपान्त अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम स्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर के साबिक खसरा

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

87 रकबा 7 बीघा कृषि भूमि को काउन्टर क्लेमेण्ट
संख्या-2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30/12/76
/10/78 द्वारा क्रय कर मौके पर काश्त, कब्जा काश्त है।
रिकार्ड स्वातेदार काश्तकार रहे हैं। भू-प्रबन्ध कार्यवाही
रान उक्त ग्राम साबिक खसरा नम्बर 87 रकबा 7 बीघा
र्तमान खसरा नम्बर 180 रकबा 0.79 है0, 182 रकबा
है0, 183 रकबा 0.27 है0, 550 रकबा 0.09 है0, 551
0.24 है0 (कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 है0 बनाये
तथा उक्त आराजी खसरा नम्बरान की खातेदारी काउन्टर क्लेमेण्ट
दी संख्या-2 के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। मैट्रिक प्रणाली
अनुसार साबिक खसरा नम्बर 87 रकबा 7 बीघा का क्षेत्रफल
6 है0 होता है परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या
की खातेदारी में 1.76 है0 दर्ज करने के बजाय 1.64 है0 भूमि
की गई। इस प्रकार साबिक रकबे मे से 0.12 है0 भूमि पहले
कम दर्ज की गई। वर्तमान भूमि बन्दोबस्त के पश्चात् खतौनी
न्दोबस्त में भी काउन्टर क्लेमेन्ट प्रतिवादी संख्या-2 की खातेदारी
हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 0.79 है0, 182 रकबा 0.25 है0,
83 रकबा 0.27 है0, 530 रकबा 0.09 है0, 551 रकबा 0.24 है0
कुल किता-5 कुल रकबा 1.64 है0 दर्ज किये गये। भू-प्रबन्ध
विभाग द्वारा अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक
का जारी पर्चा लगान काउन्टर क्लेमेण्ट प्रतिवादी संख्या-2 के
हक मे जारी किया गया। उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड मे कोई
परिवर्तन भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है परन्तु
पर्चा जारी होने के पश्चात् ए. आर. ओ. सांगानेर ने बदर
संख्या 16 आज्ञा दिनांक 30/01/91 पत्रावली संख्या 695/90 के
द्वारा काउन्टर क्लेमेण्ट प्रतिवादी संख्या दो की खातेदारी मे
दर्ज खसरा नम्बर 180 रकबा 0.79 है0 भूमि मे से 0.12 है0
भूमि कम कर उसको एक नया बटा खसरा नम्बर 180/648
बनाते हुऐ वादिया व अल्का दाधिच व हरिकिशन चौहान के
हकपूर्वाधिकारी गोकुल सिंह वगैरह खाता संख्या 4 के खातेदारों
के नाम दर्ज कर दिया जबकि भू-प्रबन्ध विभाग को अथवा
ए0 आर0 ओ0 को पर्चा लगान जारी करने के बाद इस प्रकार
की आज्ञा देने व काउन्टर क्लेमेण्ट प्रतिवादी संख्या-2 की
खातेदारी भूमि मे से 0.12 है0 [illegible] अन्य व्यक्ति
की खातेदारी मे दर्ज करने का हक व अ[illegible] नहीं है। भू-प्रबन्ध
विभाग व ए0 आर0 ओ0 सांगानेर [illegible]
से विधि विरुद्ध व गैर कानूनी [illegible] तथा
उसके हकपूर्वाधिकारियो का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। साबिक
खसरा नम्बर 87 रकबा 7 बीघा की भूमि [illegible] काबिज काश्त है।
उक्त वर्णित हाल खसरा नम्बर 180/648 की 0.12 है0 भूमि
साबिक खसरा नम्बर 87 रकबा 7 बीघा से बने हाल खसरा नम्बर
180 रकबा 0.79 है0 का ही भाग है जिसके कब्जेदार खातेदार
काश्तकार काउन्टर क्लेमेण्ट प्रतिवादी संख्या-2 होते है हाल
—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 180/648 का 0.12 है० रकबा मौके पर खसरा
180 के रकबे में शामिल है खसरा नम्बर 180/648
180 का रकबा दोनो मिलाकर एक है। भू-प्रबन्ध विभाग
ए०आर०ओ० सांगानेर को पर्चा लगान जारी करने के
बाद आज्ञा देने व काउण्टर क्लेमेण्ट प्रतिवादी सं० 2 की
खातेदारी मे दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार नही
। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलत इन्द्राज को दुरुस्त
करना उचित समझते है। प्रतिवादी सं. 2 का काउण्टर क्लेम
[illegible] साबित है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी का काउण्टर
क्लेम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश दिये जाते है कि ग्राम श्योसिंहपुरा
उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित
मुताबिक खसरा नम्बर 87 रकबा 7 बीघा से बने हाल खसरा
नम्बर 180 रकबा 0.79 है० के भाग हाल खसरा नम्बर
180/648 रकबा 0.12 है० का प्रतिवादी संख्या-2 [illegible] पुत्र
छोटू (काउण्टर क्लेमेण्ट) को खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाता है। तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड व नक्शा मे अमल
दरामद किया जावे व वादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी की उक्त आराजी
में कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, ना ही
उनके उपयोग व उपभोग मे बाधा पहुँचाये और ना ही काउण्टर
क्लेम प्रतिवादी सं. 2 को जबरन बेदखल कर कब्जा करें। पर्चा
डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 3/9/24 को खुले न्यायालय मे
सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी ... सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested